

कार्यालय, चास नगर निगम
चास (बोकारो)

E-mail.Id:- chasmunicipalcorporation@gmail.com.
Phone No-06542-265416

अतिअल्पकालीन दर आमंत्रण सूचना
दर आमंत्रण सूचना सं CMC/R-03/2023-24

उपायुक्त, बोकारो ज्ञापांक 3829 दिनांक 10.11.2023 के द्वारा चास नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत "आपकी योजना- आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम आयोजन करने हेतु विभिन्न वार्डों में दिनांक 24.11.2023 से 26.12.2023 तक शिविरों का आयोजन प्रस्तावित है। उक्त कार्य हेतु प्रतिष्ठित टेंट हॉऊस/एजेंसी/फर्म से बंद लिफाफे में दिनांक 22.11.2023 अपराह्न 2:00 बजे तक दर आमंत्रित किया जाता है एवं इसी दिन अपराह्न 03:00 बजे प्राप्त दर आमंत्रण सूचना खोला जायेगा। दर आमंत्रण सूचना जमा करने एवं निष्पादन का स्थल चास नगर निगम कार्यालय होगा।

इच्छुक प्रतिष्ठित टेंट हॉऊस/एजेंसी/फर्म द्वारा दर आमंत्रण सूचना के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, जीएसटी निबंधन संबंधी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। साथ ही 1000/- रुपये का डी0 डी0 जो Additional Municipal Commissioner, Chas) के नाम देय और भुगतये चास में होगा, दस्तावेज के साथ संलग्न करना होगा। जमा किया गया डी0डी वापस नहीं किया जायेगा।

क्र०सं०	समग्री का नाम	ईकाई	दर (Including GST)	अभ्युक्ति
01	TENT	Square feet		
02	CARPET	Square feet		
02	TABLE WITH COVER	Number		
03	CHAIR WITH COVER	Number		
04	MIC WITH MUSIC SYSTEM (Public Address System)	Number		
05	GENERATOR	Number		
06	Water Jar With Dispenser	Number		
07	Refreshment Packet (Samosa-2, Normal Rasgulla-2, Fruity (Small)-1	Number		

नियम एवं शर्तें कार्यालय सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

प्रतिलिपि :- ज्ञापांक 3551/दिनांक 14/11/2023
सूचना पट्ट, चास नगर निगम पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

8/11/23

प्रशासक

-सह-

अपर नगर आयुक्त
चास नगर निगम।


8/11/23

प्रशासक

-सह-

अपर नगर आयुक्त
चास नगर निगम।





कार्यालय, चास नगर निगम
चास (बोकारो)

E-mail.Id:- chasmunicipalcorporation@gmail.com.
Phone No-06542-265416

नियम एवं शर्तों :-

01. अति अल्पकालीन दर आमंत्रण सूचना बंद लिफाफा में आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पेन कार्ड, जीएसटी जमा करना अनिवार्य होगा।
02. उक्त दर आमंत्रण सूचना के साथ 1000/- रुपये का डी0 डी0 संलग्न करना आवश्यक होगा। जो, Additional Municipal Commissioner, Chas के नाम से देय एवं चास में भुगतये होगा। उक्त राशि वापस नहीं की जायेगी।
03. टेंट हॉऊस/एजेंसी/फर्म के द्वारा प्रत्येक आइटम का दिये गये यूनिट के अनुसार अनुसार दर अंकित करना अनिवार्य होगा। अंकित दर अधिक प्रतीत होने पर दर वार्ता किया जायेगा तत्पश्चात कार्य आवंटित किया जायेगा।
04. आवंटित कार्य की वास्तविक मापी/गणना किया जायेगा एवं जाँचोपरांत विपत्र का भुगतान किया जायेगा। भुगतान की कार्रवाई निधि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
05. इच्छुक टेंट हॉऊस/एजेंसी/फर्म के द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य करना आवश्यक होगा। कार्य में गुणवत्ता नहीं पाये जाने पर विपत्र से विपत्र से कटौती की जायेगी।
06. कार्य आवंटन का अधिकार पूर्णतः चास नगर निगम के पास सुरक्षित रहेगा एवं आवश्यकता अनुरूप एक अथवा एक से अधिक एजेंसी को कार्य आवंटित किया जा सकता है।
07. अति अल्पकालीन दर आमंत्रण सूचना के नियम एवं शर्तों में परिवर्तन का अधिकार चास नगर निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
08. अति अल्पकालीन आमंत्रण दर सूचना को किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार चास नगर निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

80
11.11.23

प्रशासक

-सह-

अपर नगर आयुक्त
चास नगर निगम।

